कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

संख्या ..../जि0आ0अ0/आ0दु0व्यवस्थापन/2018–19/गौतमबुद्धनगर/दिनांक फरवरी 2018

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देशी श की 216 दुकान , विदेशी मदिरा की 115 दुकान , बीयर की 129 दुकान एवं माडल शाप्स की 23 फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन निम्नवत समय सारणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा–

क्र0 सं0	विवरण	नियत तिथि
1	समस्त दुकानों को वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थित करनें के लिए आनलाईन (ई–लॉटरी) आवेदन करनें की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	20.02.2018 के प्रातः 10.00 बजे से
2	आनलाईन (ई–लॉटरी) आवेदन करनें की अन्तिम तिथि एवं समय	28.02.2018 के अपराह्न 19.00 बजे तक
3	ई– लॉटरी की तिथि/समय व स्थल	05.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे से कलैक्ट्रेट परिसर, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर

ई– लॉटरी हेतु आवश्यक सूचना–

ई–लॉटरी से सम्बन्धित पोर्टलः– http://upexciseelottery.gov.in - online e-lottery portal

1-ई–लॉटरी से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्वप्रथम अपने आपको पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नम्बर एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उर आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे आवेदक को यथा स्थान पर भरना आवश्य होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचना भरनी होगी

2-.आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाईल नम्बर/ई–मेल प्रेषित की जायेगी।

3-उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक ई–लॉटरी पोर्टल में प्रवेश कर सकते प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा, आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट क होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा।

4-पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेश मदिरा, बीयर मॉडल शॉप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि त प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5-किसी दुकान के लिए वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन कर सकता है। देशी मदिरा, विदेश मदिरा, बीयर मॉडल शॉप्स की दुकानों के लिए देय प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी पोर पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्णरूप से संतुष्ट होना आवश्यक है।

6-आवेदन करते समय आवेदक को अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (JPG अथवा JPEG फॉर्मेट में 10 KB 100 KB तक) हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्व कापी कम्प्यूटर में/पैन ड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकी अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहें

7-किसी भी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑन लाईन आवेदन हेतु दुक का चयन करेगा। यदि वह सह आवेदक के साथ आवेदन करता है तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा। इस

बाद द्वितीय चरण में अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी शपथ पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई पेमेन्ट के माध्यम प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व उसको अ बैंक एकाउन्ट का डिटेल भी आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित भरना होगा ताकि चयनित न होने की दशा में उस धरोहर धनराशि वापस हो सके।

8-चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट लेने की सुविधा होगी, तथा आन लाईन पेमेंट किये जाने पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है। लेकिन उसके द्वारा ई पेमेंट कर दिया गया है, तो कोई संशो अनुमन्य नहीं होगा।

9-आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद जिसमें समस्त सूचनायें अंकित होंगी, प्र होगी जिसका वह प्रिंट ले सकता है। ई–लाटरी के समय यह पावती रसीद लाना अनिवार्य होगा।

10-जिन आवेदको द्वारा आन लाईन फीस जमा नहीं की जाएगी तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र पैन कार्ड, गत का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जाएगी उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें।

जनपद गौतमबुद्धनगर की समस्त आबकारी दुकानों की निर्धारित/देय प्रोसेसिंग फीस, एम.जी.क्यू., बे लाईसेंस फीस/लाईसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि एवं वांछित जी0एस0टी0 की सूचना उपरोक्त पो जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाइट तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर के सूचना पट्ट पर की जा सकती है। ई–लाटरी से सम्बन्धित प्रेच्छाओं के समाधान के लिये आवेदक कार्यालय जिला आबकारी अधिक गौतमबुद्धनगर के हैल्प डैस्क नम्बर 8077455071 तथा जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षकों से उनके मोब नम्बर 9454465654, 9415392090, 7982212015, 9717569515, से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा सम्बन्ध में आवश्यकता पडने पर मो0 नम्बर 9454466045 व ई–मेल **upexcise100@gmail.com** से भी जानक प्राप्त की जा सकती है।

19/7/18

(राकेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

(बी0 एन0 सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

प्रकाशन हेतु नहीं

संख्या....................../तददिनांक।

1. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति क कम स्थान में प्रकाशित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित बिल प्र करना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त का अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।